न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 19/21 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2021/47

उनवान

1. परशुराम पुत्र भदईराम जाति जाटव आयु 51 वर्ष निवासी बगधारी तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. शारदा वेवा नारायन
2. धर्मेन्द्र पुत्र नारायन
3. अमित पुत्र नारायन
4. संदीप पुत्र नारायन
5. सुखीया पुत्री नारायन

} अकवाम जाटव निवासी वमनपुरा तहसील व जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दि0 24.12.2019 मि.नं. 161/17 उनवानी परशुराम बनाम नारायन।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री विजय सिंह कुंतल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री राजेन्द्र सिंह वंशीवाल अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–23.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.12.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 470/0.19 वाके ग्राम वमनपुरा तहसील व जिला भरतपुर जो कि गत खसरा नम्बर 640 व 637 से बनाया गया है के 3/5 हिस्सा को

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वादीगण अपीलाण्ट ने इनके खातेदार बाबू, लौहरे पिसरान छिद्दा व हरभेजी पत्नि छिद्दा से जरिये पंजीकृत वयनामा पूर्व प्रतिफल देकर दिनांक 06.05.1988 को क्रय किया था तथा कब्जा व दखल भी वरोज वयनामा विक्रेताओ से प्राप्त कर लिया तथा उक्त विक्रेताओ की मृत्यु बिना कोई विधिक वारिसान छोडे हो चुकी है। परन्तु राजस्व अभिलेख में अभी तक इन्द्राज विक्रेता चले आ रहे हैं, जो कि कतई गलत हैं। प्रतिवादी का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है परन्तु वह विक्रेताओ के दूर के रिश्तेदार हैं। वह आये दिन वादी अपीलाण्ट को धमकी देते हैं कि वह विक्रेताओ के दूर के रिश्तेदार हैं अतः विवादित आराजी को अपने नाम कराकर तुम्हे बेदखल करेंगें। अतः वादी अपीलाण्ट को विवादित आराजी के 3/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने पर भी ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अभिभाषक उपस्थित आये। अतः बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले निरस्त योग्य है। यह है कि अपीलाण्ट ने विवादित आराजी के 3/5 हिस्से को जरिये पंजीकृत वयनामा दिनांक 06.05.1988 को क्रय किया था। अपीलाण्ट अनपढ किसान हैं। उसने वयनामा की फोटो प्रति पटवारी हल्का को दाखिला के लिये दी थी। वह आश्वस्त हो गया कि पटवारी हल्का उनका नाम जमाबन्दी में चढा देगा। परन्तु पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट का नाम जमाबन्दी में नहीं चढाया। तत्पश्चात् विक्रेताओ की मृत्यु हो गयी। रैस्पो0 ने जब अपीलाण्ट को धमकी दी तब अपीलाण्ट को जानकारी हुयी कि उनका नाम जमाबन्दी में ना होकर विवादित आराजी विक्रेताओ के ही नाम चली आ रही है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जमाबन्दी , मिलान क्षेत्रफल व वयनामा प्रदर्श कराये। प्रदर्श 1 अधीनस्थ न्यायालय में जमाबन्दी है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में प्रदर्श 1 को बयनामा बताया। प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल है जबकि निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट बताया। कौनसे दस्तावेजी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये और किन दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया है अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में सही उल्लेखित नहीं किया है। निर्णय में वादी अपीलाण्ट के दस्तावेजात को प्रतिवादी रैस्पो0 द्वारा प्रस्तुत करना बताया

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

उसके खातेदार बाबू, लौहरी पिसरान छिद्दा हरभेजी वेवा छिद्दा जातियान जाटव

है। रैस्पो0 ने वयनामे से पूर्व ही विक्रेताओ की मृत्यु होना बताया है। जबकि विक्रेताओ ने दिनांक 14.09.88 को दीगर व्यक्तियो को दीगर आराजी का वयनामा कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट रैस्पो0 ने दर्ज कराई वयनामा को फर्जी बताया। जिसमें एफआर लगाई जा चुकी है। वयनामे के समय विक्रेता जीवित थे, प्रमाणित है। रैस्पो0 के पिता ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने बयानो में अपीलाण्ट के दावे को स्वीकार किया है। घोषणा के दावे में कोई मियाद नहीं होती एवं ना ही दाखिले की कोई मियाद होती है। वयनामे के गवाहो के भी बयान कराये गये हैं। रैस्पो0 के पिता ने भी वयनामा को स्वीकार किया है। इस प्रकार दावा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सिद्ध है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से दावा खारिज किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2015(2) पेज 1007, 2016(2) पेज 1167, आरआरडी 1998 पेज 247, एआईआर 1960 पेज 100 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु दादरसी सहित चार तनकीयात कायम की गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

5. <u>तनकी संख्या 1</u> **"आया हाल खसरा नम्बर 470/0.19 वाके ग्राम वमनपुरा के 3/5 हिस्सा के खातेदार हैं, जो वादी के विक्रेता मृतक बाबू, लौहरे पिसरान छिद्दा, हरभेजी पत्नि छिद्दा के नाम हो रहे इन्द्राजो को कलमजन कर वादी को खातेदार घोषित किया जावें"** इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल मिलान क्षेत्रफल से खसरा नम्बर 637 व 640 से हाल खसरा नम्बर 470 बनाया जाना प्रमाणित है। नकल वयनामा दिनांक 06.05.1988 से स्पष्ट है कि वादी अपीलाण्ट ने विवादित आराजी के 3/5 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा मृतक बाबू, लौहरे पिसरान छिद्दा, हरभेजी पत्नि छिद्दा से क्रय किया है। प्रतिवादी उक्त वयनामा को फर्जी होना कथन करते हैं एवं उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) भी दर्ज करायी गयी है। जिसमें एफआर लग चुकी है एवं प्रतिवादी रैस्पो0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को गलत ठहराया जाकर वादी अपीलाण्ट के पक्ष में वयनामा को सही होना पाया गया है। प्रतिवादी रैस्पो0 ने इस बाबत् आगे कोई चाराजोही की गयी हो अथवा वयनामा को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में गये हों। ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी रैस्पो0 के पिता स्व0 नारायन सिंह ने स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी को सन् 1988 में वादी अपीलाण्ट द्वारा क्रय किया जाना एवं कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी रैस्पो0 स्वयं को मृतक विक्रेताओ के दूर का रिश्तेदार होना एवं विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना कथन करते हैं। परन्तु उनके द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

उसके खातेदार बाबू, लौहरी पिसरान छिद्दा हरभेजी वेवा छिद्दा जातियान जाटव

अपने कब्जे अथवा मृतक विक्रेताओ के सगे संबंधी होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वही दूसरी ओर प्रतिवादी रैस्पो0 के पिता स्व0 नारायण अपने बयानो में विवादित आराजी पर वादी अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होना व विवादित आराजी के 3/5 हिस्सा का वयनामा वादी अपीलाण्ट के पक्ष में होना स्वीकार करते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी वहक वादी अपीलाण्ट पायी जाती हैं। लिहाजा वादी अपीलाण्ट विवादित आराजी के 3/5 हिस्से पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी होते हैं। घोषणात्मक दावे में कोई मियाद नहीं होती। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2015(2) पेज 1007 प्रकरण पर पूर्ण रूपेण चस्पा होती है।

6. <u>तनकी संख्या 02</u> **"आया वादी प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है"** जैसा कि तनकी संख्या एक की विवेचना में तय किया जा चुका है। वादी अपीलाण्ट मुताबिक वयनामा खसरा संख्या 470/0.19 है0 में 3/5 हिस्से के खातेदार काश्तकार पाये गये हैं। अतः वादी अपीलाण्ट प्रतिवादी/ रैस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के अधिकारी होते हैं। प्रतिवादी /रैस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी में वादी अपीलांट के 3/5 हिस्से कब्जे पर किसी प्रकार की मदाखलत मजामहत नहीं करें।

7. <u>तनकी संख्या 03</u> **"आया वादीगण के विक्रेताओ का निधन वयनामा से पूर्व ही हो चुका था। इसलिये दावा वादी खारिज किया जावें"** प्रतिवादी रैस्पो0 के द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में एफआर लग चुकी हैं एवं उक्त एफआर में विक्रेताओ की मृत्यु वयनामा के बाद होना पाया गया है। इसके अलावा वादी अपीलाण्ट द्वारा इन्हीं विक्रेताओ द्वारा अन्य भूमि का वयनामा प्रस्तुत किया गया है जो दिनांक 14.09.1988 का है। उक्त दोनों तथ्यों से स्पष्ट प्रमाणित है कि विक्रेताओ की मृत्यु वयनामा के बाद हुयी है। अतः यह तनकी वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 तय की जाती है।

8. **दादरसी–** समस्त तनकी का निस्तारण किया जा चुका है। प्रतिवादी रैस्पो0 अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। वादी अपीलाण्ट ने अपने जिम्मे की समस्त तनकीयात को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। अतः वादी अपीलाण्ट का वाद डिक्री किये जाने योग्य है। लिहाजा वादी अपीलाण्ट का वाद डिक्री किया जाकर वादी अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 470/0.19 वाके ग्राम वमनपुरा के 3/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2019 अपास्त किया जाकर वादी अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 470/0.19 वाके ग्राम वमनपुरा के 3/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

किया जाता है। यही डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावे। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] की जावे तथा बाद आवश्यक दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible] कुमार तिवारी)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर